कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री देशराज, सी-5077, राजाजीपुरम्, निकट-कोठारी बन्धु पार्क, लखनऊ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**179 / 08, 09.04.2008**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री देशराज, सी-5077, राजाजीपुरम्, निकट-कोठारी बन्धु पार्क, लखनऊ द्वारा दिनांक 09.04.2008 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा ' कलात्मक पगड़ियॉ, मौर, बन्धनवार एवं कपड़े व वेलवेट के फूलों के हार ' पर, कर की दर जाननी चाही गयी है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 18.12.2013 के लिए नोटिस भेजी गई। डिप्टी कमिश्नर, खण्ड-17, वाणिज्य कर, लखनऊ से आख्या प्राप्त हुई कि अंकित पते सी-5077, राजाजीपुरम्, निकट-कोठारी बन्धु पार्क, लखनऊ के भवन स्वामी श्री कृष्णा सहाय के पुत्र श्री अचल सहाय ने बताया कि श्री देशराज नामक कोई व्यक्ति यहॉ नहीं रहता है। नोटिस बिना तामील किये ही वापस की गई। पूर्व में भी कई नोटिस सम्बन्धित व्यक्ति के पता न चलने के कारण तामील नहीं हुई है। समस्त तथ्यों पर विचार करते हुए गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाना उचित पाया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में कहा है कि वर्णित सभी वस्तुएं उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-49 पर अंकित हस्तशिल्प के अन्तर्गत आती हैं। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि वह विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) बाराबंकी में पंजीकृत है।

3. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि Wikipedia में हैण्डीक्राफ्ट की परिभाषा निम्न भॉति है :-

Handicraft

A handicraft, sometimes more precisely expressed as artisanal handicraft, is any of a wide variety of types of work where useful and decorative objects are made completely by hand or by using only simple tools.

उक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि सामान्य रूप में हैण्डीक्राफ्ट के अन्तर्गत वह वस्तुएं आती हैं जिनका प्रयोग सजावट के लिए किया जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE बनाम LOUIS SHOPPE 1996-102 SCC पेज-129 में handicrafts को परिभाषित करते हुए किसी वस्तु को हैण्डीक्राफ्ट निर्धारित करने के लिए निम्न मानक तय किये गये हैं :-

'' (1) It must be predominantly made by hand. It does not matter if some machinery is also used in the process.

(2) It must be graced with visual appeal in the nature of ornamentation or in-lay work or some

....2

similar work lending it an element of artistic improvement. Such ornamentation must be of a substantial nature and not a mere pretence. ''

इन मानकों से स्पष्ट है कि वस्तुओं को handicraft प्रमाणित करने के लिए उनमें विशिष्ट कलात्मकता का होना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा निर्मित वस्तुएं कलात्मक पगड़ियॉ, मौर, बन्धनवार एवं कपड़े व वेलवेट के फूलों के हार यद्यपि हाथ से बनाये जाते हैं, किन्तु इनमें कोई विशिष्ट कलात्मकता नहीं होती है। ये वस्तुएं सजावट के प्रयोग में भी नहीं आती हैं। अत: इन पर handicrafts के अन्तर्गत करमुक्ति देय नहीं है। ये वस्तुएं उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत नहीं हैं। अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भॉति करयोग्य होनी चाहिए।

4. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी द्वारा निर्मित वस्तुएं ' कलात्मक पगड़ियॉ, मौर, बन्धनवार एवं कपड़े व वेलवेट के फूलों के हार ' न तो handicrafts की दुकानों पर मिलते हैं और न ही सामान्य व्यापार जगत में handicrafts के रूप में जाने जाते हैं। इनमें कोई विशिष्ट कलात्मकता भी निहित नहीं है। अत: ये वस्तुएं handicrafts के अन्तर्गत करमुक्त नहीं हैं। ये वस्तुएं उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत नहीं हैं। अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भॉति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करयोग्य होंगी।

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 02 जनवरी, 2014

ह0 / 02.01.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।